

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB ROHTAK Year (वर्ष): 2022
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0028 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 30/12/2022 18:22 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):
- (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 30/12/2022 Time (समय): 17:15 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 006 Date and Time (दिनांक और समय): 30/12/2022 17:26 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 50 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): उपकेन्द्र रा0 चौ0ब्यूरो0सोनीपत,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): दीपक
(b) Father's Name (पिताका नाम): राम सिंह
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1977 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	1053/29, 05, विकास नगर सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA

2	Permanent Address	1053/29, 05, विकास नगर सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA
---	-------------------	--

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8930226192

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	D.F.S.C अशोक रांवत			1. खादय एवं अपूर्ति विभाग सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	कुलदीप सिंह सब इंस्पेक्टर			1. खादय एवं अपूर्ति विभाग सोनीपत, SONIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

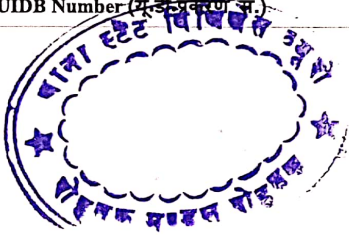
9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------



12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो उप केन्द्र सोनीपत श्रीमान जी सविनय निवेदन यह है कि मैं दीपक पुत्र श्री राम सिंह वासी 1053/29 गली न0 5 विकास नगर सोनीपत का स्थाई निवासी हूँ और मैं खाद एवं आपूर्ति विभाग सोनीपत के वार्ड 28 का डिपो होल्डर हूँ। माह नवम्बर 2022 में हरियाणा सरकार ने सभी डिपो पर बाजरा वितरण के लिए दिनांक 30 नवम्बर 2022 तक उतरना था और उसके बाद पाँच दिनों में कार्ड होल्डरों को बाटा जाना था। जबकि मेरे डिपो पर बाजरा दिनांक 4 दिसम्बर को उतारा गया। उतारने के बाद हर डिपो पर वो बाजरा अपनी मशीन में रिशिव करना होता है। लेकिन मेरी मशीन में खराबी आने के कारण मैं बाजरा नहीं रिशिव कर पाया उसके बाद मैं डी0एफ0 एस0सी0 साहब सोनीपत ने मेरे डिपो की सपलाई सस्पेन्ड करने के आदेश कर दिए इस बारे में डी0एफ0एस0 सी0 साहब अशोक रावत से मिला था और उनको पूरी बात बताई थी उन्होंने मुझे मेरी सपलाई दोबारा अटैच करने का आशवासन दिया। और मुझे बताया की अपनी सपलाई दोबारा लगा दी जाएगी। इस बारे कुलदीप सब ईन्सपेक्टर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सोनीपत से मिल लो मैं कुलदीप से मिला और कागज देकर सपलाई जुड़वाने के लिए कहा तो कुलदीप ने कहा कि आप दो दिन बाद पता कर लेना। जब मैं दो चार दिन बाद उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि आपका काम ऐसे नहीं होगा इस काम के लिए 35000/40000 रुपये लगते हैं क्योंकि डी0एफ0 एस0 सी0 साहब अशोक रावत बगैर पैसे लिए यह काम नहीं करेंगे मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। और कहा कि बिच में पैसे लेने का रिश्क मैं लेता हूँ तो मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। मेरे द्वारा पैसे कम कराने की प्रार्थना करने पर मेरी सपलाई दोबारा चालु करने/ करवाने की एवज में 12000 रुपये में बात फाइनल हो गई है। उन्होंने आज मुझे 12000 रुपये लेने के लिए बुलाया है मैं उस भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्कत को रिश्कत के पैसे नहीं देना चाहता हूँ/ मेरे और कुलदीप सब ईन्सपेक्टर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सोनीपत के बिच रिश्कत माँगने की जो बातचीत हुई है उसकी कुछ रिकार्डिंग आपको पैन ड्राईव में डालकर पेश कर दुँगा भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यावाही की जाए। दीपक पुत्र रामसिंह वासी 1053/29 गली न0 5 विकास नगर सोनीपत दिनांक 30.12.2022 हस्ताक्षर अंग्रेजी Deepak 8930226192 कार्यवाही पुलिस:-आज दिनांक 30.12.22 को मैं अपने शहयोगी स्टाफ निरीक्षक महेन्द्र सिंह 39/सोनीपत, EASI सुभाष न0 1118/पानीपत, L/ASI रेणु बाला 1581/सोनीपत, सिपाही रोहित 1612/फरीदाबाद बा.सवारी गाडी सरकारी नम्बर HR 03GV-577 जिसका चालक EHC अशोक 1467/पानीपत, EHC सन्दीप 637/सोनीप के हाजिर कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत हूँ जो दीपक पुत्र रामसिंह वासी 1053/29 गली न0 5 विकास नगर सोनीपत जिला सोनीपत ने मेरे सम्मुख उपरोक्त लिखित दरखास्त पेश की और अपने मोबाईल फोन में कुलदीप खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सोनीपत द्वारा रिश्कत बारे रिकार्डिंग सुनाई जो दरखास्त एवं रिकार्डिंग के मजबुत से मामला सरेदस्त जर्म 7 PC Act का शरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त C रोहित 1612/फरीदाबाद के थाना राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक भेजा जा रहा है। बाद दर्ज करने अभियोग नम्बर पर्चा से सूचित किया जाए। एक दरखास्त बराये करवाने नियुक्त राजपत्रित अधिकारी एवं स्वतन्त्र साक्षी कर्मचारी E-Mail के माध्यम से पुलिस अधीक्षक महोदय राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक को भेजी गई है बाद होने नियुक्त राजपत्रित अधिकारी स्वतन्त्र अधिकारी से सम्पर्क करके नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। अज : राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत हस्ता अंग्रेजी Jaipal Singh (जयपाल सिंह) उप पुलिस अधीक्षक, रा0चौकसी ब्यूरो उप केन्द्र सोनीपत दिनांक 30/12/22 at 2.30 PM अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर हजा के थाना में प्राप्त होने पर मु0 न0 28 दिनांक 30.12.2022 U/S 7 P.C.Act-1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्युटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला को बजरीया स्पेशल मैसेन्जर/मेल द्वारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशाल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त सिपाही रोहित न0 1612/फरीदाबाद की जाकर खाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से नि0 सुरेश कुमार की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Jaipal Singh Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)
- No. (सं.): HPS to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
- on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना)
प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): सुरेश कुमार

Rank (पद): निरीक्षक

No. (सं.): 293/RR

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1977				
						Is pox pitted: Yes
2	Male	1977				
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)